न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
40 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	05.06.2017	08.07.2022

मदललाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ....आवेदक

बनाम

1—श्री अमित जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अमित मेडिकल स्टोर दुकान नम्बर 9 राजकीय अस्पताल के सामने देवली जिला टोंक निवासी अमित जनरल स्टोर राजकीय महाविद्यालय के सामने जयपुर रोड देवली जिला टोंक राज0
2—मैसर्स अमित मेडिकल स्टोर दुकान नम्बर 9 राजकीय अस्पताल के सामने देवली जिला टोंक
3—श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री टीकमदास प्रोपरायटर मैसर्स जय अम्बे मेडिकल्स दुकान नं0 2 दवा बाजार सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के पास आर्य समाज रोड कोटा राज0
4—मैसर्स जय अम्बे मेडिकल्स दुकान नं0 2 दवा बाजार सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के पास आर्य समाज रोड कोटा राज0
5—श्री प्रेम अरोरा पार्टनर मैसर्स सी.एम. अरोरा एसोसिएट्स5 जे.एच.ए.—5 जवाहर नगर जयपुर निवासी 4 / 265 जवाहर नगर जयपुर राज0
6—श्री विशाल अरोरा पार्टनर मैसर्स सी.एम. अरोरा एसोसिएट्स5 जे.एच.ए.—5 जवाहर नगर जयपुर निवासी 4 / 265 जवाहर नगर जयपुर राज0
7—श्री अजय अरोरा पार्टनर मैसर्स सी.एम. अरोरा एसोसिएट्स5 जे.एच.ए.—5 जवाहर नगर जयपुर निवासी 4 / 265 जवाहर नगर जयपुर राज0
8—मैसर्स सी.एम.अरोरा एसोसिएट्स 5—जे.एच.ए.—5 जवाहर नगर जयपुर राज0
9—श्री नितेश एच ताला डायरेक्टर, मैसर्स स्मार्ट लेबोरेट्रीज.प्रा0लि0 65—66 प्राइम एस्टेट—2 सारखेज बावला रोड, एन.आर उजाला सर्किल सारखेज अहमदाबाद। निवासी आर 502 आरोही क्रेस्ट, गाला जिमखाना रोड, साउथ भोपाल अहमदाबाद।
10—प्रवीण भाई रमाणी डायरेक्टर, मैसर्स स्मार्ट लेबोरेट्रीज.प्रा0लि0 65—66 प्राइम एस्टेट—2 सारखेज बावला रोड, एन.आर उजाला सर्किल सारखेज अहमदाबाद। निवासी सी—21 जोडियक ऐस्टर एआईएस स्कूल के पास बोडकदेव अहमदाबाद।
11—मैसर्स स्मार्ट लेबोरेट्रीज.प्रा0लि0 65—66 प्राइम एस्टेट—2 सारखेज बावला रोड, एन.आर उजाला सर्किल सारखेज अहमदाबाद।
12—श्री पटेल कोशिक कुमार पुत्र श्री पटेल तुलसीदास प्रोपरायटर मैसर्स हेवीट वेलनेस 68,शिवम फेस—3 जी.आई.डी.सी. छतराल जिला—गाधीनगर, गुजरात। निवासी 3—55—1, जागणियोवास,सरसाव, पाटन पिमपाल गुजरात।
13—मैसर्स हेवीट वेलनेस 68,शिवम फेस—3 जी.आई.डी.सी. छतराल जिला— गाधीनगर, गुजरात।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

14–श्री पटेल कोशिक कुमार पुत्र श्री पटेल तुलसीदास प्रोपरायटर मैसर्स हेवीट रेमिडिज 68, शिवम फेस–3 जी.आई.डी.सी. छतराल जिला– गाधीनगर, गुजरात। निवासी 3–55–1, नागणियोवास,सरसाव, पाटन पिमपाल गुजरात।

15–मैसर्स हेवीट रेमिडिज 68, शिवम फेस–3 जी.आई.डी.सी. छतराल जिला–गाधीनगर, गुजरात।

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26(2) की उप धारा (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–श्री जितेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट अप्रार्थी सं. 1 व 2, व श्री अमित जैन स्वंय, अप्रार्थीगण सं0 3 ता 15 के प्रतिनिधि उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 08.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.09.2016 को समय 01:02 पी.एम. पर मैसर्स अमित मेडिकल स्टोर दुकान नम्बर 9 राजकीय अस्पताल के सामने देवली जिला टोंक पहॅचे,वहॉ श्री अमित जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विमल कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स अमित मेडिकल स्टोर दुकान नम्बर 9 राजकीय अस्पताल के सामने देवली जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में फूड सप्लीमेंट–प्राटीन पाउडर,च्यवनप्राश,ग्लूकोज पाउडर आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **ग्लूकोल सी ग्लूको स्मार्ट ऑरेन्ज फ्लेवर्ड (Glucose C Gluco Smart Orange Flavour)** जिसके बेज नम्बर जी.सी. 4011 व पेकिंग दिनांक 2/2016 थी दुकान की रेक में 200–200 ग्राम 25 नग आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे हुए थे जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री अमित कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री अमित कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **ग्लूकोल सी ग्लूको स्मार्ट ऑरेन्ज फ्लेवर्ड (Glucose C Gluco Smart Orange Flavour)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 200–200 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 800 ग्राम **ग्लूकोल सी ग्लूको स्मार्ट ऑरेन्ज फ्लेवर्ड (Glucose C Gluco Smart Orange Flavour)** पैक के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा **ग्लूकोल सी ग्लूको स्मार्ट ऑरेन्ज फ्लेवर्ड (Glucose C Gluco Smart Orange Flavour)** की खरीदशुदा 4 मूल पैक प्रत्येक 200–200 ग्राम पैक को ज्यों का त्यों एक–एक नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार पेकेट तैयार किए एवं चारों नमूना पेकेटों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1443 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1443 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री अमित जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अमित मेडिकल स्टोर दुकान नम्बर 9 राजकीय अस्पताल के सामने देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स जय अम्बे मेडिकल्स दुकान नं0 2 दवा बाजार सेन्ट्रल बेक ऑफ इण्डिया के पास आर्य समाज रोड कोटा राज0 का वारंटी खरीद बिल क्रमांक/ इन्वाईस नं0 एच–491 दिनांक 9–4–2016 प्रस्तुत कर उपरोक्त फर्म से **ग्लूकोल सी ग्लूको स्मार्ट ऑरेन्ज फ्लेवर्ड (Glucose C Gluco Smart Orange Flavour)** क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स जय अम्बे मेडिकल्स दुकान नं0 2 दवा बाजार सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के पास आर्य समाज रोड कोटा राज0 को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गए जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रेषित कर उपरोक्त पदार्थ सी.एम. अरोरा एसोसिएट्स 5 जे.एच.ए.–5 जवाहर नगर जयपुर निवारी 4/265 जवाहर नगर जयपुर का खरीद बिल क्रमांक /इन्वाईस 011/15 एसएस/1974 दिनांक 12–3–2016 प्रस्तुत कर उपरोक्त फर्म से **ग्लूकोल सी ग्लूको स्मार्ट ऑरेन्ज फ्लेवर्ड (Glucose C Gluco Smart Orange Flavour)** क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स सी.एम. अरोरा एसोसिएट्स 5 जे.एच.ए.–5 जवाहर नगर जयपुर निवासी 4/265 जवाहर नगर जयपुर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गए जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रेषित कर उपरोक्त पदार्थ मैसर्स स्मार्ट लेबोरेट्रीज.प्रा0लि0 65–66 प्राइम एस्टेट–2 सारखेज बावला रोड, एन.आर उजाला सर्किल सारखेज अहमदाबाद।का खरीद बिल क्रमांक /इन्वाईस 01/15 एन/58/ दिनांक 23–2–2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने मैसर्स स्मार्ट लेबोरेट्रीज.प्रा0लि0 65–66 प्राइम एस्टेट–2 सारखेज बावला रोड, एन.आर उजाला सर्किल सारखेज अहमदाबाद को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गए जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रेषित कर उपरोक्त पदार्थ मैसर्स हेवीट वेलनेस 68,शिवम फेस–3 जी. आई.डी.सी. छतराल जिला–गाधीनगर,गुजरात का खरीद बिल क्रमांक/इन्वाईस न0 टी/261 दिनांक 18–2–2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की।

आवेदक ने वारंटी व निर्माता होने के कारण मैसर्स हेवीट वेलनेस 68,शिवम फेस–3जी.आई. डी.सी. छतराल जिला– गाधीनगर गुजरात को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गए जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रेषित कर उपरोक्त पदार्थ मैसर्स हेवीट रेमिडिज 68, शिवम फेस–3 जी. आई.डी.सी. छतराल जिला–गाधीनगर, गुजरात ने अपनी फर्म से सम्बन्धित दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/5358 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2878/एक्ट/2016/555 दिनांक 19.10.2016 के अनुसार विक्रेता श्री अमित कुमार जेन पुत्र श्री विमल कुमार जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **ग्लूकोल सी ग्लूको स्मार्ट ऑरेन्ज फ्लेवर्ड** (Glucose C Gluco Smart Orange Flavour) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया हैं। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **ग्लूकोल सी ग्लूको स्मार्ट ऑरेन्ज फ्लेवर्ड** (Glucose C Gluco Smart Orange Flavour) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं. 1 व 2 श्री अमित कुमार जैन स्वंय उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी सं. 3 ता 15 की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए एंव बहस सुनाई गई, पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **ग्लूकोल सी ग्लूको स्मार्ट ऑरेन्ज फ्लेवर्ड** (Glucose C Gluco Smart Orange Flavour) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ग्लूकोल सी ग्लूको स्मार्ट ऑरेन्ज फ्लेवर्ड** (Glucose C Gluco Smart Orange Flavour) नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,00000/–(अक्षरे एक लाख रू0) तथा अप्रार्थी सं. 5 ता 8 पर कुल शास्ति रूपये 1,50000–/(अक्षरे एक लाख पचास हजार रू0) अप्रार्थी सं. 9 ता 11 पर कुल शास्ति रूपये 2,00000–/(अक्षरे दो लाख रू0) अप्रार्थी सं. 12 ता 15 पर कुल शास्ति रूपये 4,00000–/(अक्षरे चार लाख रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.07.2022 से. एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0